

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
लालिता देवी vs गुनील  
वार 224/2016  
(2016/00901)

नम्बर  
अहक  
हुकम  
में

28/7/2021

पत्रावली वेब (3) अखिवबत उभय पक्ष  
उवाचनेत। तहलील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
पर वहस अखिवबत उभय पक्ष सुनी गयी।  
संक्षेप से विवाय प्रकार इस प्रकार है कि  
वादीगण द्वारा विच्छेद प्रतिवारीगण वार  
पर अखिवबत धारा 53 रररि इत आशय  
का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण एवं  
प्रतिवारी संख्या 1 के समुक्त खेत (2)  
की ग्राम मेन्सिहेजी का खेडा च-ह-नेतावलगावली  
पक्षली तहलील चिसेडाद जिले आराजी  
संख्या 245, 247, 248 कील 3 कुल खेडा  
0.56 हे. एवं आराजी संख्या 246 खेडा  
0.36 हे. खित है, जिन्का कइ मिट्टा खेडा  
एड खडवस विभाजन का वादीगण एवं  
प्रतिवारी संख्या 1 का खता अलग-अलग  
कायम कराया जावे। बाद सुनवाई प्रकार  
व वादीगण का वार पर स्वीकार किया  
जाकर दिनांक 20/6/2017 को प्राथमिक  
डिफ्री जारी कर, प्रकार मे तहलीलडा  
चिसेडाद को फासिजरे निरुक्त किया  
जाकर मोका विभाजन प्रस्ताव तलब किए  
गए।

तहलीलवार चिसेडाद डाम मोका  
विभाजन प्रस्ताव तयात का प्रस्तुत किए गये  
जिसे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अखिवबत  
उभय पक्ष वहस सुनी गयी। हमने पत्रावली  
का अवलोकन कर वहस अखिवबत उभय  
पक्ष पर गहनता से मजबूत किया। विभाजन  
प्रस्ताव प्राथमिक डिफ्री के अनुरूप होने से  
ग्राम मेन्सिहेजी का खेडा च-ह-नेतावलगावली  
तहलील चिसेडाद जिले वादीगण एवं प्रतिवारी  
संख्या 1 आराजी संख्या 245, 247, 248 कील



(हुकम मुसुर किनोई)  
न्यायक उलोका एवं  
अखिवबत अधिकारी  
चिसेडाद (राज.)



कीता 3 रकम 0.56 है एवं आराजी लिखना 246 रकम 0.36 है जो कि उनके (संयुक्त स्वामिदारों) से दूरी रेकार्ड है का पाठ पत्र व्यतीगत विभाजन का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम स्वामिदार	आ.सं.	रकम	किस्म	लगाव
1-	ललिता देवी पत्नी मुरलीमनोहर 34/57, मनोज कुमार पिता मुरलीमनोहर 23/57 जाफ	245 2	0.2278	नहरी 2	2.62
	सा. उपरलापाडा चिल्ड्रेज गट स्वामिदार	246 2	0.3422	नहरी 2	3.94
	कीता	2	0.5700		6.56

2-	सुनील पिता काशीराम प्रजापत ला. सेमलपुडा स्वामिदार	245 1	0.0122	नहरी 2	0.14
		246 1	0.0178	नहरी 2	0.20
		247	0.11	नहरी 2	1.26
		248	0.21	वीड	0.52
	कीता	4	0.35		2.12

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड से अमलबन्ध किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नकशे एवं डिक्री का पार्स रहेगा। निर्विभागात डिक्री जारी हो। प्लॉकली कैबल शुमा होकर नम्बर से कम हो। निर्विम लिखना जाकर सेरे इजलास सुनाया गया।



(इकामे मुन्दा किनोई)  
 सहायक सचिव एवं  
 उपरलापाडा अधिकारी  
 चित्तूर (राज.)